[श्री कैलाशपति मिश्र]

चाय की दुकान चलाता था। बगल में ही थाना है। पुलिस आ कर मुफ्त में चाय पिया करती थी। फिर मांगी घूस। उसने घूस देने से इन्कार किया। तो उसे दो दिन पहले धमकी मिली कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया जायेगा। अजय कुमार नाम का 15 वर्ष का उसका एक लड़का, जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था और 8 रुपये रोज कमाता था, सबेरे सबेरे 7 बजे उसे पुलिस ने पकड़ कर खींचना शुरू किया और घर के सामने से मारते मारते थाने में ले गये। थाने से घर, घर से थाना। तीन बार घर से थाना और थाने से घर उसको मारते मारते लाये ले गये और साढ़े चार बजे पुलिस ने उसको थाने में जान से मार दिया। जब शहर के लोगों को पता चला और लाश मांगने के लिये लोग आये तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर के लोगों को लाश देने से मना किया और भगा दिया। बात और बढ़ गयी और दूसरे दिन 14 अगस्त को जब भीड़ थाने पर न्याय मांगने के लिये इकट्ठा हुई तो भीड़ पर लाठी चली, फिर गोली चली। फिर एक दूसरा आलोक राय नाम का 20 वर्ष का जवान मारा गया। फिर जब बात बढ़ी, जिला अधिकारी आये तो उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि दोनों मरे हुए बालकों के परिवारों को दस, दस हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। थोड़े दिन बाद जब अनुदान लेने के लिये लोग गये तो 5000 रुपया देकर बाकी के लिये इन्कार कर दिया गया। अब हर दिन पुलिस नित्यानन्द के घर पर जा रही है कि तुम अपना बयान बदलो नहीं तो तुम्हारा दूसरा छोटा बच्चा मारा जायेगा। परिवार बर्बाद कर दिया जायेगा। महोदया, वह गरीब आदमी चार दिनों से दिल्ली में दर दर की ठोकर खा रहा है, रो रहा है। जब सामने पड़ता है तो रोना शुरू कर देता है। उसे अब चिन्ता लगी हुई है कि उसके प्राण की रक्षा कैसे होगी और उसके परिवार की रक्षा कैसे होगी।

महोदया, पूरी घटना की जांच पी० यू० सी एल० ने की है। मैं उसके लम्बे वृतान्त में नहीं जाना चाहता, केवल उसके चार वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं। मैं केवल उसकी चार मुख्य पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पी० यू०सी एल० की टीम ने 20 गवाहों से गवाहियां लीं। उस टीम के लगभग सभी गवाहों ने बताया कि पुलिस ने नित्यानन्द के बेटे अजय कुमार को घुमा घुमा कर इतना मारा कि वह पानी तक को तरस गया, लेकिन पुलिस नें उसको पानी नहीं दिया। लोगों ने जब उसको पानी देना चाहा तो पुलिस ने उसको भी रोक दिया।

महोदया, ऐसे जघन्य अपराध और ऐसी घटना जिसमें पुलिस के बारे में पी०यू०सी एल० ने इतनी लम्बी रिपोर्ट दी है, बिहार सरकार उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है और सरकार पुलिस के समर्थन और रक्षा में चल रही है। दुर्भाग्य है कि मुख्य मंत्री भी चल रहे हैं। एक भी कार्यवाही पुलिस पर नहीं हुई, एक भी निलम्बित नहीं हुआ और एक भी जेल नहीं गया। अब अपनी ड्यूटी पर बरकरार हैं। गवाहों को जाकर धमकियां दे रहे हैं। नित्यानन्द के परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि उसके परिवार की हत्या कर दी जायेगी।

इसलिये, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह चाहूंगा कि पटना शहर के पास यह दानापुर है, वहां की इस घटना से प्रभावित लोगों के परिवारों को तुरन्त अनुदान दिया जाय और जिसने भी ऐसा पाप किया है, उनके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाये।

Change of Timing of Parliamentary Bulletin (in Hindi) by Doordarshan

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभापति महोदया,

संसद की समीक्षा के सबध मे मेरा यह विशेष उल्लेख है । अभी तक संसद समाचार 12 बजे रात से पौने एक बजे तक दी जाता है, उसका समय बदल दिया जाये। इसी प्रकार ससद समीक्षा जो 7.30 से 7.40 तक आती थी उसका समय बदला जा रहा है । मैंने कल स्वय 7.41 पर यह घोषणा सुनी दूरदर्शन पर कि आज की तारीख मे ये साढ़े सात बजे के बजाय 11 बजे रात को सुनाई जायेगी ।

महोदया, संसद समाचार का आशय यह है कि उसको देश की जनता सुन सके, उसको जानकारी हो क हमारे जन प्रतिनिधि वहा क्या करते हैं और किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श होता है । अभी पीछे 4 दिसम्बर, को प्रश्न संख्या 402 था, जिसमें श्री पी० एन० सुकुल ने सवाल उठाया था क अंग्रेजी के समाचारों को भी राष्ट्रीय प्रसारण मे सम्मिलित किया जाये । उस समय चैयरमैन साहब भी थे और उन्होंने खुद अपनी राय दी थी कि—

"Members of Parliament want that proceedings should go on the National Hook-up."

तो मेरा नवेदन है कि इस समय में परिवर्तन किया जाये । उसको 7.40 पर पहले जैसे सुनाया जाता था, उसको 11 बजे रात को सुनाया जायेगा तो उसको सुनने के लिये कौन जागता रहेगा ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जैकब जी यहां उपस्थित है । मैं चाहूंगा कि जब सारे संसद सदस्यों की इच्छा है तो आप उसको बदल क्यों नहीं देते ?

माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपकी भी सहायता चाहता हू । आप उस विषय मे आदेश देने के लिये सक्षम हैं । जब माननीय सभापति जी ने स्वयं अपनी राय व्यक्त की है तो यहां ससदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित है, वे भी इस बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री को कहें कि जैसे पहले साढे सात बजे संसद समीक्षा आती थी, वैसे ही आनी चाहिये और जो अंग्रेजी में समाचार रात को आता है, उसको भी साढ़े सात और साढ़े आठ बजे के बीच मे सम्मिलित किया जाये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय सभापति महोदया भी इसका समर्थन करना चाहेगी ।

PROF. C LAKSHMANNA (Andhra Pradesh). The shifting of news from 7.30 P. M. to 11.00 P.M. is not justified. The people want to know what is happening in Parliament. Therefore, they should immediately change the timing in such a way that the people in the country can know what is happening in Parliament. I associate myself with the sentiments expressed by Mr. Malaviya.

SHRI M. S GURUPADASWAMY (Karnataka): Let us know the reasons why this was changed at all. For what reasons? There is no reason at all for changing the timings

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदया, संसद मे क्या होता है, इसको पूरे हिन्दुस्तान के लोग साढे सात बजे के सामाचर के माध्यम से सुनते रहे हैं और जो संसद सदस्य है, वे भी चाहते है कि हम जो बात बोलते हैं, वह देश की जनता जानना चाहती है कि हमने उनके लिये क्या आवाज उठाई ।

साढ़े सात बजे का टाइम था, वही रहना चाहिये और जो ग्यारह बजे का टाइम किया गया है यह बिल्कुल जन विरोधी कदम है । इस को किसी भी कदम पर नहीं रखा जाना चाहिये । जो हमारे इन्फारमेशन मिनिस्टर है वह पूर्ववत इस आदेश को जारी करे और इस माध्यम से संसदीय समाचार सारी भारत की जनता की पहुचाये ।

श्री पशुपतिनाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश) : मैने यह सवाल उठाया था । क्वेश्चन आवर मे मैंने सदन का ध्यान इसी बात पर खीचा था कि न्यूज-

[श्री गुलाम रसूल मट्टो]

इन-पार्लियामेन्ट का आल इण्डिया रिले होना चाहिये । नेशनल प्रोग्राम के अन्तर्गत इसको किया जाना चाहिये । चेयरमैन साहब ने डायरेक्शन दी थी । इन्फरमेशन मिनिस्टर को, कि पूरे सदन का यह मत है कि इस को नेशनल प्रोग्राम में लाया जाये, ताकि पूरा देश इसको जान सके । मैं जानना चाहता हू तब यह कैसे हो गया ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs may please convey the sentiments of the House to the concerned Minister.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) यह बात सही है कि कारण जरूर जाना जाये । गुरुपदस्वामी जी ने सवाल उठाया कि कारण पहले जाना जाये । ऐसे षडयन्त्र देश मे अनेक हो रहे है । मैं एक षडयन्त्र को बता देता हू कि सदन की कार्यवाही जनता तक न पहुंचाने के लिये क्या किया जा रहा है.....

उपसभापति : अभी मत उठाइये ।

श्री राम चन्द्र विकल : सारा सदन इससे सहमत है । अविलम्ब आज ही इस पर पूर्ववत अमल होना चाहिये । मंत्री जी को सदन में बुलाया जाये । (**व्यवधान**)

उपसभापति : अब हो गया । बैठ जाइये ।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) : मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं ।

उपसभापति : मै मानती हू पूरी तरह से सारा सदन सहमत है ।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam, Deputy Chairman, while associating myself with what my friend, Malviyaji has said, I have to say something to clear the misunderstanding. The 7.30 Hindi news bulletin that was being broadcast as Parliamnet news was not being broadcast on the national network. It was not even being broadcast on both the channels of Delhi Doordarshan. It was only broadcast on one channel and in the other channel at 7.30 there was news. So, the question is, as the Chairman has also directed the Minister, and the Minister had earlier given the assurance, that this Parliament news shall be broadcast in Hindi and English and also that it shall be broadcast throughout the country. The question now is that this timing has been shifted It is not a question of timing alone. That timing of 7.30 was confined to Delhi only and there was no programme of Parliament News for the entire country. Now the Minister has come out with the thing that he will broadcast it on the National Network from today, but he has slated it at a time, which is absolutely a bad time. It should be in English after the English news and in Hindi after the Hindi news Otherwise there will be no use. There is no use of putting in on one channel of Delhi only. It should be for the entire country and at a suitable time.

उपसभापति : ठीक है, अभी भाषण तो इस पर नहीं होना चाहिए ।

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman , this matter has been raised in the Lok Sabha also. That is why I would like to submit to you that we are not against the national languages. But no purpose will be served. We are not against the languages but the content of the news will be broadcast or telecast better if it is done in regional languages. Then alone, what is going on in Parliament will reach the general public. If in the non-Hindi areas the programme Parliament News is broadcast or telecast in Hindi, which is unknown to us, no purpose will be served by it. That is why I say that whatever is going on in Parliament should be shown in regional languages. That is very important. Are you

particular about the language or the content of news, that I want to know. News is more important than the language. If you are very particular to know what is going on in the House, it should be telecast or broadcast only in the regional languages. I have no objection if it is telecast in Hindi language in Hindi-speaking areas. *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: Why are you opposing? You are having it in English after English late night news.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : जो विचार विकल जी ने रखे है कि साढे सात बजे के स्थान पर 11 बजे करने के पीछे कोई भारी षडयंत्र है तो मुझे भी लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की बहुत भारी साजिश है । दो साजिश हो सकती है । यह एक साजिश हो सकती है कि जनता को 11 बजे सुनने को न मिले, जनता राजकाज के मामो से कट जाय, अलग हो जाय । दूसरा कारण यह हो सकता है कि इस सरकार को ओर से साजिश हो कि जो आलोचना होती है, सरकार की सदन मे जो आलोचना होती है, वह जनता तक न पहुचे । उसको काट-कर अलग कर दिया जाय । दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है । अगर आप यह मानते है कि सरकार की साजिश नही है, ब्यूरोक्रेसी की साजिश है तो जिन लोगो ने बिना सरकार की राय से इसको बदला है, उनको क्या सरकार सख्त सजा देगी ? मैं उनके खिलाफ सख्त सजा की माग करता हू । कोई भी सरकारी मशीनरी को मनमाने ढंग मे नही चला सकता है। जनता को प्रशासन से काटने का काम कोई प्रशासक करता है तो यह बर्दाश्त के बाहर है । अगर यह सरकार ऐसा नही करेगी तो इसका अर्थ यही है कि यह इस सरकार की साजिश है, इनके कहने पर यह समय बदला गया है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश): महोदया, मै समझता हू कि सारा सदन इस बात मे एक मत है कि जो परिवर्तन की घोषणा कल हुई है उसको वदल कर पूर्ववत स्थिति लाई जाय । लेकिन महत्व की बात यह है कि संस समीक्षा पर पहले भी चर्चा हुई है । उस चर्चा को सुनने के बाद चाहे शासक हो, चाहे मंत्री हों, चाहे वहां के अधिकारी हों, उनसे हम यह अपेक्षा करते है कि वे इसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करें तो कम से कम सलाह तो करें । हमारी एक संसदीय सलाहकार समिति है । उससे इस बारे मे सलाह करनी चाहिए । पहले के समय को बदल कर संसद् समीक्षा के लिए जो 11 बजे का समय रखा गया है उस पर इतनी प्रतिक्रिया हुई है । यह स्वाभाविक है कि इस पर दोनो सदनों के सदस्यो ने नाराजगी और असंतोष प्रकट किया है । यहां तक कि वहां के सदन में अध्यक्ष को निर्देश सा देना पड़ा मंत्री को कि वे इसको पूर्ववत लाये । मैं समझता हूं कि इस सदन की राय भी वही है । संसद् समीक्षा के प्रसारण के संबंध मे और संसद् की कार्यवाही के संबंध में इस प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो कम से कम ससदीय सलाह-कार समिति से सलाह करके तो करना चाहिए ।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, यह साढ़े 11 बजे के लगभग हिन्दी समीक्षा और अंग्रेजी समीक्षा संसद् की देना, यह नहीं देने के बराबर है .... *(व्यवधान)*

उपसभापति: मैने उनको एलाऊ किया है। He is a member of the Consultative Committee. He wants to say something. He has some information.

श्री प्रमोद महाजन : लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि यह समद् समीक्षा साढे 7 बजे हो और साढे 7 बजे इस लिये न हो कि जो विभिन्न महानगर है, जिनके अपने दूर-दर्शन केन्द्र है, वहा 7.20 से 7.30 तक उनके प्रादेशिक समाचार होते है । उसके बाद उनके अपने कार्य-क्रम शुरू हो जाते है । इसलिये यह जो साढे 7.30 बजे की हिन्दी समीक्षा होती थी, उसके बारे मे भले ही आप

[श्री प्रमोद महाजन]

यह कहें कि यह नेशनल नेटवर्क पर आती थी, लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि यह कहीं चैनल-2 पर चली जाती थी और बाकी जगह नहीं पहुंचती थी। बम्बई में तो साढे 7 बजे यह कभी मिलती नहीं थी। इसलिये ससदीय समिति में सुझाव इस प्रकार का आया था कि 8.40 पर सायं समाचार होने से पहले 8.30 से 8.40 तक हिन्दी समीक्षा हो और अंग्रेजी न्यूज जो 9.30 से 9.50 तक होते हैं, उसके बाद 9.50 से 10.00 बजे तक अंग्रेजी समीक्षा हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाये तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी लोगो को हिन्दी तथा अंग्रेजी में संसद् समीक्षा देखने का अवसर मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सूचना और प्रसारण मत्रालय के अधिकारियो ने इसको अलग करके साढे 11 बजे इसका समय रखा, यह गलत है। इसको समाचारो के पहले और न्यूज के बाद देना चाहिये।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग (गुजरात): यह बिल्कुल सही सुझाव है। मै सम्पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, मै सूचना और प्रसारण मंत्रालय की समद सदस्यो की कंसलटेटिव कमेटी की सदस्या हू। मै महाजन जी से यही कहना चाहती हूं कि परिवर्तन हुआ थ। तो यही प्रस्ताव था कि संसद समीक्षा का समय बदला जाये। लेकिन समय बदलने का मतलब यह तो नही था कि ससद समीक्षा बिल्कुल हिन्दी मे सुनाई ही न जाय या अंग्रेजी में न सुनाई जाये। महोदया, बार-बार जनता की तरफ से मांग उठती है कि पार्लियामेन्ट की कार्यवाही टेलीविजन से दिखाई जाये। एक तरफ तो यह माग है और दूसरी तरफ यह कहां की नीति है कि उसका समय बदल कर बिल्कुल आधी रात का समय उसके लिये रखा जाये। अत: मैं महाजन जी ने जो कहा है, उसका समर्थन करते हुए समय के बारे मे जो उन्होंने अपनी राय दी है, उसी के अनुसार संसद समीक्षा आनी चाहिये, कह कर मै अपनी बात समाप्त करती हू।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu). Madam Deputy Chairman, up till now, Parliament News was being telecast—in Hindi—at 7.30 p.m and that in English after 11 30 p.m. We have been repeatedly demanding that Parliament News in English should be telecast between 7.30 and 8 30 p.m. If it is to put on the national hookup, it should be telecast as well as braodcast in all the regional languages, as Mr. Aruna demanded. We are very particular that the telecast and the broadcast should be before 8.30 p.m. because the non-Hindi-speaking people are deprived of the facility which the Hindi-speaking people are enjoying. Therefore, the Government should consider this demand. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have asked the Minister of Parliamentary Affairs to convey the sentiments of the House to the Minister concerned.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I accept the proposal, to be conveyed. (*Interruptions*)

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM: That will be done by the Press also.

THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS (AMENDMENT) BILL, 1987—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We now take up further discussion on the Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 1987. Shri Kadharsha

SHRI M KADHARSHA (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, this is a very simple Bill seeking to amend certain provisions in the original Act of 1985. In 1985, the Government was in a mad rush to push through this